

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीम. पुकाश बनाम हस्तालाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 233/2022 / 336

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|------------------|--|
| <p>23/5/2022</p> | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>श्रीम. पुकाश - कमला - जगदीश - पप्पुलाल</u> <u>पिता श्यामलीलाल वाल्मिकी, वहीलाल 510 भग्गा भांवी, बेना</u> <u>पिता श्यामलीलाल वाल्मिकी, भदन वाल्मिकी, शांतिवार्द पत्नी</u> <u>वहीलाल भांवी</u> निवासी- <u>घटियावली रोड</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गिलुंड</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>17</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>0.6700</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिलुंड</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>17</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>0.6700</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500 = ००</u> रुपये अक्षर <u>पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓ (श्याम सुन्दर विहनेई) सहायक कलेक्टर एवं उप अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |